


## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरौ (गढ़वाल)



पत्रांक:- ६०५/14 सी०

दिनांक:- *05 /07/* 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौडी।

विषय-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील थलीसैण में गढ़सारी—कुल्याणी मोटर मार्ग का विस्तार हेतु आपेक्षित वनभूमि वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में लगाई गई आपित्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में लगाई गई आन लाईन आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्न प्रकार से है —

EDS dated 18-03-2016 FP/UK/ROAD/10588/2015 आपत्तियाँ	आपित्तियो का निराकरण
1. Short narrative of the project does not give adequate information in Part I.	1.सूक्ष्म टिप्पणी में परियोजना कि सूचना सही तरीके से ऑनलाईन अंकित कर दी गई है।
2. Village wise break up is not provided in correct form in Part I.	2. पार्ट 1 में ग्रामवार ब्रेकअप सही तरीके से ऑनलाइन अंकित कर दिया गया है।
3. Total period for which forest land to be diverted is not mentioned in Part I.	3.वन भूमि प्रत्यार्वतन का कुल समय ऑनलाईन अंकित कर दिया गया है।
4. In the component wise break up in Part I, mentioned "TWO" which is not clear.	4. पार्ट 1 में मोटर मार्ग का कम्पोनेन्ट वाइस ब्रेकअप सही तरीके से ऑनलाईन किया गया है।
5. GPS coordinate marked digitally on GIS software generated georefrenced map for the area proposed for diversion in 200-300m distance and each turn of the proposed road and be uploaded in the designated place in Part I.	5.मोटर मार्ग के जियो रिफरेन्स नक्से में 200—300 मीटर की दूरी एवं मोडो के प्रत्येक कोनो के कार्डिनेट दर्शा कर नक्शा अपलोड कर दिय गया है।
6. In the SoI toposheet uploaded in Part I, the starting point and end point is not marked.	6.टोपोसीट में मोटर मार्ग का आरम्भिक बिन्दु एवं अंतिम बिन्दु व उसके कोडिनेटस दर्शा कर नक्शा अपलोड कर दिया गया है।
7. GPS coordinate marked digitally on georefrenced map for every corner of land proposed for CA is not provided. It should be uploaded in the designated place in Part I.	7. क्षतिपूरक वृक्षा रोपण स्थल के कोनो के कोडिनेटस दर्शा कर जियो रिफरेंस मैप अपलोड कर दिया गया है ।
8. CA stipulation is not commensurate with the total forest land diverted in the district in Part II need justification and correction.	8 क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का जी०ओ० रिफरेन्स मैप सही तरीके से क्षेत्रफल दर्शाकर अपलोड कर दिया गया है। शेष निराकरण आपके कार्यलय द्वारा किया जाना है।

9. The 77 trees per hectare do not account for 0.4 density	9. इस बिन्दु का निराकरण आपके कार्यलय द्वारा किया जा
and the NPV calculation is also done for dense forest which	है ।
needs review. The State Govt may review the density and	0 1
NPV and furnish revised density and NPV calculation.	
10. In the SIR report of the DFO, coments on all points are	10 इस बिन्दु का निराकरण आपके कार्यलय द्वारा किया जा
not done. SIR report, covering reply on all points may be provided.	है ।
11. Part I, II, III, IV and V which is provided in online web	11- इस बिन्दु का निराकरण आपके कार्यलय द्वारा किया
portal for the proposal may also be enclosed with the hard	जाना है ।
copy for further necessary action.	जाना ह ।

कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बैजरौ (गढ़वाल)